न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
78 / 2022	30.06.2022	23.01.2024

पीठासीन अधिकारी–विजेन्द्र कुमार मीणा (आर.ए.एस.)

उनवान

1– धनराज आत्मज गोबरीलाल जाति बैरवा निवासी चन्द्रावला तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादी)

बनाम

1– महावीर आत्मज गोबरीलाल जाति बेरवा
2– रामावतार आत्मज गोबरीलाल जाति बेरवा
3– हीरालाल आत्मज गोबरीलाल जाति बेरवा
4– राजेश आत्मज गोबरीलाल जाति बेरवा
5– कविता पुत्री गोबरीलाल जाति बेरवा
6– गोबरीलाल पुत्र नेनगी बाई पिता बिरधीलाल जाति बेवा
निवासीगण ग्राम चन्द्रावला तहसील दीगोद जिला कोटा राज0
7– दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादी की ओर से – श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से– श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा खातेदारी,इन्द्राज दुरूस्ती

निर्णय

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि

1– यह कि ग्राम चन्द्रावला तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता सं0 50 नया, पुराना 51 में खसरा नम्बर 1182 रकबा 0.32 हेक्टर, खसरा नम्बर 1183 रकबा 0.30 हेक्टर, कुल 2 किता की रकबा 0.62 हेक्टर कृषि भूमि दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी पेश है।

2– यह कि ग्राम अतरालिया तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता सं0 56 नया, पुराना 49 में खसरा नम्बर 1104 रकबा 0.57 हेक्टर, खसरा नम्बर 1167 रकबा 1.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 82 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 84 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 87 रकबा 0.02 हेक्टर , कुल 5 किता की रकबा 1.80 हेक्टर दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी पेश है।

3– यह कि उपरोक्त भूमियां प्रतिवादी नं0 6 के खाते में दर्ज चली आ रही है। वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 5 प्रतिवादी नं0 6 के पुत्र, पुत्री व वारिसान है। उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि है, जो प्रतिवादी नं0 6 को उनकी माता नेनगी बाई से प्राप्त हुई है।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

4— यह कि उक्त भूमि पैतृक भूमि होने के कारण उक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 5 का, प्रतिवादी नं0 6 के साथ बराबर बराबर का हिस्सा है।

5— यह कि उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 5 की पैतृक भूमि है तथा उपरोक्त भूमि में प्रतिवादी नं0 6 के साथ वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 5 का बराबर—बराबर हिस्सा है। उपरोक्त भूमि को वादी व प्रतिवादीगण काश्त कर अपने अपने परिवार का गुजर बसर करते चले आ रहे है तथा वादी की आय का एक मात्र साधन है। इस कारण प्रतिवादी नं0 6 के साथ वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 5 को बराबर हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं0 6 के साथ सहखातेदार अंकित किया जाना आवश्यक है।

6— यह कि वादी ने उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 5 का नाम अंकित कराने को प्रतिवादी नं0 6 को दिनांक 29.05.2022 को कहा तो प्रतिवादी नं0 6 ने वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 5 का नाम अपने साथ दर्ज कराने से मना कर दिया।

7— यह कि उपरोक्त परिस्थितियों में वादी के लिये माननीय न्यायालय में खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती का वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश करना आवश्यक हो गया है।

8— यह कि वाद कारण प्रतिवादी नं0 6 द्वारा वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 5 का नाम प्रतिवादी नं0 6 के साथ नाम दर्ज कराने व सहखातेदार घोषित करने से दिनांक 29.05.2022 को इन्कार करने पर पैदा हुआ।

9— यह कि प्रतिवादी नं0 7 भूमि का लेण्ड होल्डर होने से उसे वाद में बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। अन्य खातेदारान से किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं चाही गयी है इस कारण उन्हे पक्षकार नहीं बनाया गया है।

10— यह कि वाद अर्जेन्ट एवं इमीजिऐट रिलीफ से सम्बन्धित है। इस कारण वादी ने वाद में प्रतिवादी नं0 4 राजस्थान सरकार को धारा 80 जाप्ता दीवानी के तहत 2 माह का नोटिस नहीं दिया है ओर बिना नोटिस दिये वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसके लिए धारा 80 (2) जाप्ता दीवानी का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावेः—

1— कि ग्राम चन्द्रावला तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता सं0 50 नया, पुराना 51 में खसरा नम्बर 1182 रकबा 0.32 हेक्टर, खसरा नम्बर 1183 रकबा 0.30 हेक्टर, कुल 2 किता की रकबा 0.62 हेक्टर कृषि भूमि में प्रतिवादी नं0 6 के साथ वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 5 को सहखातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं0 6 के साथ वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 5 का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावे।

2— कि ग्राम अतरालिया तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता सं0 56 नया, पुराना 49 में खसरा नम्बर 1104 रकबा 0.57 हेक्टर, खसरा नम्बर 1167 रकबा 1.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 82 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 84 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 87 रकबा 0.02 हेक्टर , कुल 5 किता की रकबा 1.80 हेक्टर प्रतिवादी नं0 6 के साथ वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 5 को सहखातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं0 6 के साथ वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 5 का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावे।

वादी की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो संलग्न हैः—

1— नकल जमाबन्दी ग्राम चन्द्रावला खाता सं0 59 सम्वत 2075—2078

2— नकल जमाबन्दी ग्राम अतरालिया खाता सं0 56 सम्वत 2076—2079

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादीगण की ओर से श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से उभय पक्ष के अधिवक्ताओ द्वारा आपसी सहमति से सहमति परक जवाब दावा मय राजीनामा प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ताओं द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा प्रस्तुत कर आदेशिका पर वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 ने सहमति से हस्ताक्षर किये गये। उभय पक्षकारान की ओर से राजीनामा निम्नानुसार प्रस्तुत किया गयाः–

प्रस्तुत राजीनामा

वादी एवं वादीगण की ओर से निम्न राजीनामा पेश किया गयाः–

1– कि ग्राम चन्द्रावला तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता सं0 50 नया, पुराना 51 में खसरा नम्बर 1182 रकबा 0.32 हेक्टर, खसरा नम्बर 1183 रकबा 0.30 हेक्टर, कुल 2 किता की रकबा 0.62 हेक्टर कृषि भूमि में प्रतिवादी नं0 6 के साथ वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 5 को सहखातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं0 6 के साथ वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 5 का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावे।

2– कि ग्राम अतरालिया तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता सं0 56 नया, पुराना 49 में खसरा नम्बर 1104 रकबा 0.57 हेक्टर, खसरा नम्बर 1167 रकबा 1.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 82 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 84 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 87 रकबा 0.02 हेक्टर , कुल 5 किता की रकबा 1.80 हेक्टर प्रतिवादी नं0 6 के साथ वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 5 को सहखातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं0 6 के साथ वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 5 का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावे।

यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण को उक्त वाद राजीनामा के अनुसार डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नही है। प्रतिवादी नं0 6 के साथ वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 5 को सहखातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं0 6 के साथ वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 5 का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावे।

प्रकरण को उभय पक्षकारान के मध्य राजीनामा प्रस्तुत करने पर पत्रावली को बहस पर नियत किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। आदेशिका पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर करवाये गये। वादी की पहिचान वादी अधिवक्ता द्वारा करवायी गयी तथा प्रतिवादीगण की पहिचान प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा करवायी गयी।

अतः उभय पक्ष के अधिवक्ताओं ने उपस्थित होकर प्रस्तुत राजीनामा पर सहमति प्रकट करने एवं दावा डिक्री किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की है। अतः वादी का वाद पत्र प्रस्तुत राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस एवं राजीनामा का गहन अध्ययन व मनन किया गया। वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र, प्रस्तुत राजीनामा अनुसार स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य सहमति से राजीनामा होने पर स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र निम्नानुसार डिक्री किया जाता है।

1– कि ग्राम चन्द्रावला तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता सं0 50 नया, पुराना 51 में खसरा नम्बर 1182 रकबा 0.32 हेक्टर, खसरा नम्बर 1183 रकबा 0.30 हेक्टर, कुल 2 किता की रकबा 0.62 हेक्टर कृषि भूमि में प्रतिवादी नं0 6 के साथ वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 5 को सहखातेदार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं0 6 के साथ वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 5 का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

2— कि ग्राम अतरालिया तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता सं0 56 नया, पुराना 49 में खसरा नम्बर 1104 रकबा 0.57 हेक्टर, खसरा नम्बर 1167 रकबा 1.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 82 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 84 रकबा 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 87 रकबा 0.02 हेक्टर , कुल 5 किता की रकबा 1.80 हेक्टर प्रतिवादी नं0 6 के साथ वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 5 को सहखातेदार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं0 6 के साथ वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 5 का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावे।

तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि सहमति से उक्त राजीनामा अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार फाईनल डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)